

**प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) के भुगतान किये जाने
संबंधी प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ० एन०-5 -3 / 2007 (एफ० सी ०,डिजीज़न) दिनांक 05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण / गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट वैल्यू (एन०पी०वी) और बढ़ी दरो के अनुसार धनराशि **टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।



**प्रभाषकुमार (मैनेजर)
टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड**